

न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा

बनान

अप्रार्थी :- श्री अमरचन्द्र/श्रीशंकरजी निवासी खोर्खो अन्तर्गत धारा 91 नू-राजस्थान अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 29/2018  
निर्णय

दिनांक 27.6.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद खोर्खो के खसरा नम्बर 302 नी. किरम खो.पु. ने रकबा 0.7025 हेवीघा भूमि में गौजा लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वालह सवत् नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ..... ने दिनांक ..... को उपस्थित होकर ..... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर मालका दस्तावेजाती एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की मांग खोर्खो के खसरा नम्बर 302 किरम गौ.पु. गौजा में रकबा 0.7025 हेवीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा रकबा अतिक्रमण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 - रुपये एतद् घोषा की दर से अतिक्रमण रकबा 0.7025 हेवीघा भूमि के 0.02 रुपये लगान का 50 गुना 1.00 ...../- अक्षर एक रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्थान लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार श्रीलवा